मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं

न्यायमूर्ति नगेन्द्र जैन*

भारत के संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं तथा कानून प्रत्येक नागरिक के लिए समान है। कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है एवं कोई भी कानून का उल्लंघन करने पर कानून की अनभिज्ञता या जानकारी नहीं होने के, बचाव का कारण नहीं दे सकता है। जबकि वास्तव में सम्पूर्ण कानून की जानकारी सभी को नहीं है। हर राज्य में कल्याणकारी सरकार है एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने नागरिकों के लिए कई योजनाऐं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। परन्तु इसके बावजूद भी प्रचार–प्रसार के अभाव में नागरिकों को राज्य द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नही है। इस वजह से जिन नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजना बनाई गई है, वे उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। राजस्थान राज्य भी कल्याणकारी राज्य होने के कारण सरकार द्वारा आम जनता के हितार्थ एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाऐं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से एक तरफ सभी नागरिकों को स्वाभिमान के साथ जीवनयापन करने का हक मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनका जीवन स्तर आगे बढ़ने के साथ–साथ भावी पीढ़ी को शिक्षा एवं रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होने की संभावनाऐं बढ़ रही हैं।

राज्य मानवाधिकार आयोग कि जिम्मेदारी है की वो प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों की रक्षा को प्रभावी तौर पर सुनिश्चित करें और सरकार के सुशासन में मदद करें। इसके अलावा आयोग की मंशा है कि नागरिकों

के अधिकारों का संरक्षण हो एवं जागरूकता अधिक से अधिक बढ़े साथ ही नागरिकों को इन जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उनके अधिकारों की जानकारी मिले। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग अपने माननीय चेयरपर्सन के निर्देशानुसार, कुछ महत्वपूर्ण जनोपयोगी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं, दिशा–निर्देशों व नागरिक अधिकार पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर संकलित की गई है। जिन्हें नागरिकों को बतलाने का सतत् प्रयास है। वे इनके माध्यम से अपना जीवन और भी बेहतर बनाये तथा लाभांवित हों। इन अधिकारों एवं योजनाओं की जानकारियाँ इसके साथ ही भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन विधेयक, 2005 व सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन में निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्न प्रकार है –

1. महिला एवं बाल विकास विभाग

- इस विभाग के माध्यम से सामुहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रति जोड़ा अनुदान राशि 5,000 रूपये प्रदान की जाती है, जिससे गरीब परिवारों को उनके बच्चों के विवाह के समय आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शिशु पालनागृहों का संचालन किया जा रहा है।
- महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने पर सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- विधवा महिला एवं महिला विकास कार्यक्रम के तहत पात्र महिलाओं को उचित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
- ग्रामीण छात्राओं को स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ने जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाती है।
- पुलिस थानों पर महिला सहायता केन्द्रों की स्थापना की गई हैं।

- राज्य में महिलाओं द्वारा भूमि क्रय करने पर मुद्रांक शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा तथा सन्दर्भ सेवाऐं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं चिकित्सा विभाग की ए.एन.एम. के सहयोग से उपलब्ध कराई जाती है ।
- 'राष्ट्रीय पोषाहार मिशन' के अन्तर्गत आदिवासी जिलों की बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु पायलट परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।
- राज्य में 'मुख्यमंत्री पंचामृत योजना' के अन्तर्गत आदिवासी जिलों की बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु पायलट परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।
- राज्य में 'मुख्यमंत्री पंचामृत योजना' के अन्तर्गत 19 वर्ष से अधिक आयु की बी.पी.एल. महिला को संस्थान में प्रसव कराने पर 700/- रूपये की नकद राशि उसे पोषाहार लेने के लिए दी जाती है। 500/- रूपये की राशि उसे घर पर प्रसव कराने पर प्रदान की जाती है।
- आदिवासी क्षेत्र की बच्चियों के सातवीं, आठवीं, व नौवीं कक्षा पास करने पर साईकिल तथा दसवीं, ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है।

2. समाज कल्याण विभाग

- अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को पालनहार योजनान्तर्गत उनकी परवरिश के लिए अनुदान दिया जाता है।
- निःशक्त व्यक्तियों को स्वयं की रोजगार गतिविधि प्रारंभ करने के लिए 50000/- रूपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाते हैं।
- दो या दो से अधिक विकलांग सदस्यों के परिवारों को बी.पी.एल. परिवारों के समान सुविधाऐं दी जाती है।

- वृद्धजनों के हितार्थ उन्हें बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान करने हेतु वृद्धजन नीति बनाई गई है।
- अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण पर 5 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है।
- मूक बधिर व नेत्रहीन बालकों को गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विशिष्ठ शिक्षण प्रदान कराया जाता है।
- सिविल सेवाओं के आरंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सफल एस.सी./एस.टी. के निर्धन छात्रों को एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, उपकरण एवं स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले दृष्टि बाधितों, श्रवण बाधितों, मानसिक विमंदितों एवं अस्थि विकलांगों को किराये में छूट की सुविधा मुहैया कराई जाती है।

3. श्रम विभाग

- बन्धुआ मजदूर/श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं उनके पुनर्वास हेतु राज्य के समस्त जिलों में जिला कलेक्टरों की देखरेख में सतर्कता समितियां एवं उपखण्ड स्तरीय समितियां कार्यरत।

4. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग

- राज्य के सहरिया परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार दो रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।
- उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में सहरिया एवं जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- घर से दूर अध्ययनरत छात्रों को राशनकार्ड जारी करने के लिए संस्था प्रधानों को अधिकार दिए गये हैं तथा छात्रावासों एवं किराये का कमरा लेकर रहने वाले छात्रों को नियमित रूप से चिन्हित राशन की दुकानों से अस्थाई राशनकार्ड के आधार पर केरोसिन उपलब्ध कराया जाता है।

5. पुलिस विभाग

- पुलिस विभाग का प्रमुख दायित्व संविधान में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नागरिकों के कानूनी अधिकारों का सम्मान करना एवं राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को कानूनों का पालन करते हुए बनाये रखना है ताकि समाज में पुलिस की भूमिका सार्थक रूप में परिणित हो।
- प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि उसके साथ संज्ञेय अपराध घटित होने पर वह संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।
- रिपोर्टकर्ता उसके द्वारा दर्ज कराई गई सूचना रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार तथा अभियोग की अनुसंधान संबंधी प्रगति सम्बन्धित अधिकारियों से मालूम कर सकता है।
- गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की गिरफ्तारी सम्बन्धी सूचना तत्काल उनके परिजनों को दिया जाना आवश्यक है एवं गिरफ्तार व्यक्तियों को 24 घंटो के भीतर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहां तक संभव हो, पुलिस अधिकारियों को उनके घर जाकर पूछताछ करना आवश्यक है। पूछताछ के दौरान महिला के परिजन उसके साथ रखे जाने आवश्यक है।
- बाल न्याय कानून, 1986 के तहत किसी बाल अपराधी को गिरफ्तार करने या उसे पुलिस देखरेख में लेने के लिए विशेष प्रावधान है, जिनकी पालना आवश्यक है।
- बच्चों को हवालात में व्यस्कों से अलग रखना आवश्यक है। उन्हें यातना नहीं दी जानी चाहिए और उनके साथ क्रूरतापूर्वक एवं अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा भी अलग से विस्तार में दिशा–निर्देश जारी किये हुए हैं।

6. ग्रामीण विकास विभाग

- इस विभाग द्वारा जन कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाऐं संचालित की जा रही हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाऐं निम्न प्रकार हैं:–

  (अ) स्वरोजगार द्वारा गरीबी उन्मूलन (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना)

  (ब) रोजगार सृजन द्वारा गरीबी निवारण

  (स) क्षेत्रीय विकास द्वारा 'गरीबी एवं क्षेत्रीय असंतुलन' निवारण

  (द) प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम।
- इन योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को समूह में लाभान्वित करने हेतु प्राथमिकता दी जाती है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के स्तर पर 15 प्रतिशत राशि से ग्रामीण गरीबों को संगठित करके उन्हें मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के साथ–साथ दीर्घकालीन स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है।
- बारां जिले के सहरिया जनजाति के परिवार के एक व्यक्ति को वर्ष भर में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विशेष रोजगार योजना चलाई जा रही है।
- मिड–डे–मील कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के समस्त 32 जिलों में राजकीय, अनुदानित एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों तथा मदरसों में कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिड–डे–मील उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की माताओं से कार्यक्रम का नियमित निरीक्षण करने का भी निवेदन किया जाता है। इस योजनान्तर्गत छात्रों को चिकित्सीय सुविधाऐं भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- इसी क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार चाहने वाले प्रत्येक परिवार को एक जॉब कार्ड जारी किया

जाता है, जो पांच वर्ष के लिए वैध होता है एवं उसमें रोजगार उपलब्ध कराने का विवरण लिखा जाता है।

· विभाग द्वारा संचालित 'इंदिरा आवास योजना' के अन्तर्गत नये आवास के निर्माण एवं कच्चे आवासों को पक्के आवासों में क्रमोन्नत करने तथा ऋण एवं अनुदान निर्धारित मानदण्डों के आधार पर दिया जाता है।

· ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी समय–समय पर विभाग द्वारा विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से भी आमजन तक पहुंचाई जाती है। इनके माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में संचालित योजनाओं की क्षेत्रवार जानकारी दी जाती है, जो जनोपयोगी है।

7. राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के सहयोग से नारी चेतना समिति द्वारा 40, कैलाशपुरी, खण्डाका हॉस्पिटल के पास, टोंक रोड पर कम्यूनिटी सेन्टर (सामुहिक सामुदायिक केन्द्र) संचालित किया जा रहा है। इसमें 10 एड्स मरीजों की निःशुल्क भर्ती की व्यवस्था है। यहां संक्रमण ईलाज, भोजन, नाश्ता निःशुल्क दिया जाता है। यहां नर्स/कम्पाण्डर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व एक पार्ट टाइम विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देते हैं।

· इसके अलावा **ड्रॉप–इन सेन्टर**, वैशाली नगर में दूसरा संजीवनी ट्रायवल संस्था, धौलपुर द्वारा भरतपुर में चलाया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षित कॉउन्सलर्स द्वारा मरीजों में सकारात्मक जीवनशैली एवं सकारात्मक सोच का विकास किया जा रहा है।

· एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर के कमरा नम्बर 5 में एन्टीरिट्रोवायरल थेरेपी सेन्टर चल रहा है। इसमें एड्स रोगियों को ए.आर.टी. व अवसरवादी संक्रमणों की निःशुल्क दवाईयां व अन्य जांचों के साथ अतिरिक्त सीडी 4 की जांच की सुविधा है।

· एच.आई.वी एड्स रोगियों के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध कराई जाती है।

8. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

समाज के कमजोर वर्गों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त कर पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। जो विधिक सहायता के अलावा, समान अवसर के आधार पर न्याय प्रदान करने व लोक अदालतों द्वारा मामलों का निपटारा करेगा। जिसके अनुसार हर तालुका, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे कोई मामला फाईल करना है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार सभी स्तरों पर होगा, यदि ऐसा व्यक्ति :–

(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,

(2) संविधान के अनु. 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है,

(3) स्त्री या बालक है,

(4) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है,

(5) अनुपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है,

(6) कोई औद्योगिक कर्मकार है,

(7) ऐसा व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में आता है।

संबंधित कोर्ट, तालुका, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना–पत्र देने पर संबंधित विधिक सहायता समिति उसके मामले में वकील नियुक्त कर निःशुल्क कानूनी सहायता देगी।

9. राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारण्टी विधयेक, 2005

यह अधिनियम लागू होने की तारीख 5 सितम्बर, 2005 से पांच

वर्षों की अवधि में देश में सभी जिलों में लागू होगा

इस अधिनियम के द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों (परिवार) की आजीविका की सुरक्षा के लिए सरकार एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारण्टी देती है। यह योजना पूरे देश के 200 जिलों में लागू किया गया है। राजस्थान में यह छः जिलों (उदयपुर, डूँगरपुर, सिरोही, बाँसवाड़ा, करौली, झालावाड़) में लागू किया गया है। इस योजना में कार्य के लिए आवेदन करना होगा तथा रोजगार कार्ड बनवाना होगा। इस प्रावधान में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तथा इससे अधिक की दूरी में देने पर परिवहन खर्चे के अलावा मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सुविधाओं में कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, विश्राम के लिए शेड, कार्यरत महिलाओं के साथ छह वर्ष तक के पांच या अधिक बच्चों की देखभाल के लिए अतिरिक्त महिला की व्यवस्था, सामान्य दुर्घटना में उपचार की व्यवस्था, अस्पताल में भर्ती होने पर आधे दिन की मजदूरी के हिसाब से भुगतान, विकलांग या मृत्यु होने पर 25,000/— रूपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

कार्यों का चयन व परियोजना का प्रस्ताव तैयार करना व उसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत व वार्ड सभाओं की सिफारिश पर होगा।

अगर किसी को कोई शिकायत करनी है तो वह ग्राम पंचायत शिकायत अधिकारी को करनी होगी और उसको वह शिकायत रजिस्टर में प्रविष्ट कर 7 दिन में निपटायेगा।

10. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना'

- भारत सरकार द्वारा संचालित इस संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत प्रति संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र को 2 करोड़ रूपये वार्षिक दिए जाते हैं। जिससे लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तथा राज्यसभा के सदस्य अपने निर्वाचन राज्य के एक या अधिक जिलों में कार्यान्वयन हेतु कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।

- इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यों की अनुशंसा अनिवार्य है।
- बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, तूफान और अकाल जैसी आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में भी इस योजनान्तर्गत कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकता है। साथ ही देश में 'विकराल प्राकृतिक आपदा' आने पर सांसद, प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 50 लाख रूपये के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है।
- सामान्य तौर पर जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त जिले में इस योजनान्तर्गत कार्यों को कार्यान्वयन के लिए जिला प्राधिकारी होते हैं। साथ ही यदि जिला आयोजना समिति को राज्य सरकार द्वारा शक्तियां प्रदान की गई है, तो जिला आयोजना समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी जिला प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है।
- इस योजना में प्रावधान है कि जहां जिला प्राधिकारी को यह महसूस हो कि किसी कारण से अनुशंसित कार्य को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, जिला प्राधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के अन्दर—अन्दर सम्बन्धित संसद सदस्य के साथ—साथ भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार को कारणों से अवगत करायेगा। यदि किसी कार्य की अनुमानित राशि, संसद सदस्य द्वारा उसी कार्य के लिए इंगित राशि से अधिक है, तो स्वीकृति देने से पूर्व संसद सदस्य की सहमति आवश्यक है।
- संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित और जिला प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गये कार्य केवल संसद सदस्य की इच्छा से ही रद्द किया जा सकता है, बशर्ते कार्य का कार्यान्वयन शुरू ही नहीं हुआ हो।
- इस योजना के अन्तर्गत जैसे ही कार्य पूरा होता है, उसे आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया जाना चाहिए ।

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दिए गये प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार सभी नागरिकों को इन किए गये कार्यों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी एवं सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
- इस योजनान्तर्गत एक वर्ष के भीतर किए गये इस प्रकार के खर्चों के लिए एक अलग से खाता खोला जायेगा और लेखा परीक्षा की संवीक्षा हेतु विवरण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सम्बन्धित संसद सदस्य को इस सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा। लेखा परीक्षा में उठाई गई लेखा परीक्षा आपत्तियों को निपटाने की जिम्मेदारी जिला प्राधिकारियों की होगी।

उपरोक्त योजना एमपी लैड्स के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की सूची निम्न है :–

(www.mplads.nic.in)

I. पेयजल सुविधा –

1. ट्यूबवैल
2. वाटर टेंक
3. हैण्डपम्प
4. वाटर टेंकर
5. पाईप से पेयजल आपूर्ति
6. पेयजल मुहैया कराने हेतु अन्य कार्य

II. शिक्षा –

1. सरकारी शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन
2. सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन
3. सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु कम्प्यूटर
4. शैक्षणिक संस्थानों हेतु अन्य परियोजनाऐं

III. विद्युत सुविधा –

1. सार्वजनिक स्ट्रीट और स्थानों पर प्रकाश हेतु परियोजना

2. विद्युत वितरण अवसंरचना के सुधार हेतु सरकारी अभिकरणों की परियोजना

IV. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण –

1. अस्पतालों, परिवार कल्याण केन्द्रों, जन स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों, ए.एन.एम. केन्द्रों हेतु भवन
2. सरकारी अस्पतालों और औषद्यालयों के लिए अस्पताल के उपस्करों की प्राप्ति
3. सरकारी एम्बूलेंस
4. चलता–फिरता औषधालय
5. शिशु सदन और आंगनबाड़ी
6. अन्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजनाऐं

V. सिचांई सुविधाऐं

1. लोक सिंचाई सुविधाओं का निर्माण
2. बाढ़ नियंत्रण बांधों का निर्माण
3. पब्लिक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाऐं
4. लोक भूजल रीचार्जिंग सुविधाऐं
5. अन्य लोक सिंचाई परियोजनाऐं

VI. गैर–पारम्परिक उर्जा स्त्रोत

1. सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र
2. सामुदायिक प्रयोग हेतु गैर–पारंपरिक उर्जा प्रणाली/साधन

VII. अन्य लोक सुविधाऐं

1. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण
2. वृद्धों और विकलांगों हेतु संयुक्त आश्रय–गृह
3. पब्लिक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम का निर्माण
4. कब्रिस्तान/शमशान संबंधी दाहशाला और स्ट्रक्चर का निर्माण
5. कारीगरों हेतु कॉमन वर्कशेड

6. सार्वजनिक परिवहन को यात्रियों के लिए बस शेड/स्टॉप का निर्माण
7. सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु भवन
8. बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों (व्यक्ति विशेष के लिए नहीं) हेतु मोटरबोट की खरीद
9. स्कीम में स्वीकृत भवनों हेतु चारदीवारी
10. सार्वजनिक पार्क
11. अर्थी वैन
12. सरकारी अभिकरणों हेतु बैटरी चलित बसें
13. सरकारी संगठनों हेतु अग्नि टेंडर
14. अन्यत्र शामिल न होने अन्य सार्वजनिक कार्य

VIII. सडक, पगडंडी और पुल

1. सड़कों, उपगमन सड़कों और सम्पर्क सड़कों और पथ का निर्माण
2. फुटपाथों का निर्माण
3. पुलिया और पुलों का निर्माण
4. मानव रहित रेलवे कॉसिंग पर लेबल कॉसिंग बनाना

IX. सफाई और जन स्वास्थ्य

1. सार्वजनिक जल निकासी हेतु नलियां और गटर
2. सार्वजनिक शौचालय और स्नानघर
3. कूड़ा उठाना और मल निपटान प्रणाली, स्थानीय निकायों के लिए वाहनों सहित अर्थ मूवर्स
4. सफाई और जन स्वास्थ्य हेतु अन्य कार्य

X. खेलकूद

1. खेलकूद गतिविधियों के लिए भवन
2. शारीरिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भवन
3. मल्टी–जिम हेतु भवन

4. स्थायी (अचल) खेलकूद उपस्कर
5. मल्टी जिम उपस्कर
6. खेलकूद गतिविधियों के लिए अन्य सार्वजनिक कार्य

XI. पशु देखभाल

1. पशु–चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र
2. पशुओं के लिए आश्रय–गृह

समस्त स्कीमों में निधि जारी करना व प्रंबधन– जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त अथवा नगर निगम का मुख्य कार्यपालक अथवा जिला योजना समिति का मुख्य कार्यपालक, (जैसी भी स्थिति हो) होगा।

सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की उक्त खास–खास बातों का संक्षिप्त विवरण नागरिकों के लिए आयोग के सहायक रजिस्ट्रार, आर. एल. चौधरी व अमर चन्द्र शर्मा, पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा माननीय चेयरपर्सन के निर्देशानुसार एकत्र कर आयोग द्वारा मानवाधिकार, लीगल लिक्ट्रेसी व अवेयरनेस प्रोग्राम की कड़ी में इस दसवीं बुकलेट के माध्यम से जनहित के लिए जानकारी दी जा रही है। इससे मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार होगा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं के प्रति जागरूकता को विकसित करेगा। आशा है अधिक से अधिक नागरिक बन्धु इस बुकलेट के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं की सहायता लेगें।

उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के अलावा अन्य योजनाऐं भी कार्यरत हो सकती है। जिनकी जानकारी आयोग को बावजूद कोशिशों के प्राप्त नहीं हो पाई है। उसके लिए आयोग अपने स्तर पर प्रयासशील है, जो मिलने पर आयोग अन्य बुकलेट के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेगा। ❑ ❑

* अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट।
आर-3, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302 005

Human Rights
Legal Literacy & Awareness Series 10/2006

मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन

मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार, जागरूकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन :-

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की पुस्तिका।
2. आयोग की कार्यविधि की जानकारी हेतु ब्रोसर।
3. राज्य आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां एवं प्रसंज्ञान लेने वाले प्रकरणों की जानकारी संबंधी लघु पुस्तिका।
4. मानवाधिकार संरक्षण लघु पुस्तिका।
5. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2000-2002.
6. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003.
*7. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004.
8. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005.
9. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006.
10. त्रैमासिक न्यूज लेटर संयुक्तांक/विशेषांक- 2005.
11. त्रैमासिक न्यूज लेटर अप्रेल 2006 से जून 2006.
12. लघु पुस्तिकाएं
    - (i) बालकों के अधिकार।
    - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर।
    - (iii) एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार।
    - (iv) मानवाधिकार और जैन धर्म।
    - (v) आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
    - (vi) आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
    - (vii) भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
    - (viii) महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी।
    - (ix) दलितों के अधिकार।
    - (x) मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।

STATES HUMAN RIGHT CHAIRPERSON NAME, PHONE NO. & ADDRESS LIST

S.No	Chairperson Name	State	Address	Phone No.	E-Mail Address
	Hon'ble Dr. Justice A.S. Anand	NHRC, New Delhi	NHRC, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi 110001	91-11-23382514	chairnhrc@nic.in
1.	Justice Shri B. Subhashan Reddy	Andhra Pradesh	"Gruhakalpa" M.J. Road, Hyderabad - 500001	040- 24601574	umanrights@ap.nic.in
2.	Justice Shri Sailendu Nath Phukan	Assam	Statfed H.O. Building, Bhangagarh Guwahati - 781005	0361-2527076	hrca@sancharnet.in
3.	Justice Shri Ali Mohammad Mir	Jammu & Kashmir	Dawn Building, Dalgate, Srinagar- 11901	0194- 2454046	
4.	Justice Shri V.P. Mohan Kumar Acting Chairperson	Kerala	M.P. Appan Road, Vazhuthacaud Thiruvananthapuram - 695014	0471- 2337145	kshrctvpm@vsnl.net
5.	Justice Shri D.M. Dharmadhikari	Madhya Pradesh	Paryavas Bhawan, Arera Hills, Jail Road, Bhopal - 462001	0755- 2764505	mphrc@sancharne.in
6.	Shri C.L. Thool Acting Chairperson	Maharashtra	9, Hajarimal Somani Marg, Near CST Railway station, Mumbai- 400001	022- 22078962	
7.	Justice Shri W.A. Shishak	Manipur	Courts Complex, Lamphel, Imphal - 795004	0385 - 2410473	mhrc@man.nic.in
8.	Justice Shri D.P. Mohapatra	Orissa	Orissa State guest house, Room No. 1,2,3,4 Ground Floor, Bhubaneswar, Orissa	0674- 2563746	2405094
9.	Justice Shri R.L. Anand Acting Chairperson	Punjab	SCO No. 20,21,22, Sector 34A, Chandigarh - 160001	0712 - 2600501	
10.	Justice Thiru S. Thangaraj Acting Chairperson	Tamil Nadu	Justice Pratap Singh Maaligai , 2nd floor, No. 35, Vi-Ka-Salai. Royapettah, Chennai – 600014	28114405	
11.	Justice Shri A.P. Mishra	Uttar Pradesh	1/183, Vineet Khand Gomati Nagar, Lucknow - 226010	0522- 2726742	phrc@sancharnet.net
12.	Justice Shri Shymal Kumar Sen	West Bengal	Bhabani Bhawan, Alipore Kolkata - 700027	033 - 24797259	bhrc@cal3.vsnl.net.in
13.	Shri Lal Jayaditya Singh Acting Chairperson	Chhatisgarh	Near Mantralaya, Raipur- 492001	0771 - 2235524	cghrcryp@sify.com
14.	Justice Shri N.K. Jain	Rajasthan	State Secretariat, S.S.O. Building Jaipur-302005	0141- 2227868	rshrc@raj.nic.in

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हाँ, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथासंभव निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :-

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गाँव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।

(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित।

(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते, यदि ज्ञात हो तो।

(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।

(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।

(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं परिणाम।

(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लम्बित हैं? हाँ, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें।

परिवाद/शिकायत अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग का पुर्नसंगठनात्मक संरचना (06.07.2005)

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगतसिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सीरवी	सदस्य
	श्री गिरीराज सिंह	सचिव
	श्री रामजीलाल मीणा	उप-सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिये महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)

2227565 (सचिव), 2227738 (फैक्स)

E-mail : rshrc@raj.nic.in, Website : www.rshrc.nic.in